न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 106/2023 दायर दिनाँक 15.06.2023

वादी

1. हनीफ खान पुत्र जमील खां उम्र 29 वर्ष जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. सुबहानी पत्नी जमील खां उम्र 48 वर्ष
2. समाउदीन पुत्र जमील खां उम्र 27 वर्ष
3. मोहम्मद अली पुत्र जमील खां उम्र 23 वर्ष
4. सलमान खान पुत्र जमील खां उम्र 22 वर्ष
5. अजहरूदीन पुत्र जमील खां उम्र 19 वर्ष
6. सुल्तान खां पुत्र जमील खां उम्र 16 वर्ष (प्रतिवादी सं0 6 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुबहानी प्रतिवादी सं0 1) जातिगण शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी डाबगांव तहसील डीडवाना
8. तहसीलदार डीडवाना।
9. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री नरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.08.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की संयुक्त कब्जा काश्त, स्वामित्व के खेत पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 वाके सरहद डाबगांव पटवार हल्का, लोरोली कलां भू0अभि0नि0 केराप तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि उक्त खेत मृतक जमील खां के नाम से है, मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पति/पिता जमील खां की खतौनी में प्रतिवादी सं0 7 जो जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी डाबगांव का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि जयनारायण नाम का व्यक्ति कौन है व उनका नाम हमारे खाते में कैसे दर्ज हुआ, ना तो कभी जयनारायण नाम का व्यक्ति ने न तो हम से कोई जमीन खरीदी तथा नही हमारे खेत का पाड़ौसी है तथा न ही हमारे गांव का निवासी है। इस प्रकार हमारे खेत की खतौनी है, उममे मेरे पिता जमील खां पुत्र कासम खां का हिस्सा पूर्ण लिखा हुआ है, इस प्रकार बिलकुल साफ जाहिर है कि जयनाराण नाम जो हमारी खतौनी में दर्ज हुआ है, नामान्तकरण व सहमति, बंटवारा की प्रति दावे के साथ प्रस्तुत है। जिसको रेकर्ड दुरूस्ती करना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पति/पिता जमील खां के साथ प्रतिवादी सं0 7 जयनाराण नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को प्रतिवादी सं0 7 जयनारायण नाम दर्ज होने से वादी स प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को प्रतिवादी सं0 7 जयनारायण की खातेदारी को लेकर भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कार्ड बनवाने, ऋण आदि लेने तथा नामान्तकरण करवाने में भी वादी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का पेश करना लाजमी आया है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 7 जयनारायण का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि खेत पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 [illegible] सं0 7 जयनारायण [illegible] नाम राजस्व रेकर्ड में व मृतक खातेदार जमील खां के स्थान पर वादी व प्रतिवादी [illegible] करना लाजमी आया दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत घोषणा [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप्त वादी की इस प्रकार है :-

यह है कि खेत पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 भूमि राजस्व अभिलेख में जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के घोषित खातेदारी करते हुये प्रतिवादी सं0 7 जयनारायण व वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के पति/पिता जमील खां के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का नाम दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की तरफ से वकील श्री नरेन्द्र सिंह ने वकालतनामा व इकबालिया पेश कर वाद को स्वीकार करने पर सहमति दी, शेष प्रतिवादीगण सं0 7, 8, 9 समनिस्तगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया ग्राम डाबगांव के पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 भूमि में तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के पति/पिता जमील खां पुत्र कासम खां के साथ 2073 से सेमीकेशन जमाबन्दी बनाते वक्त सहवन (भूल) से जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राह्मण सा. डेह जुड़ गया। वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर इनके नाम घोषणा खातेदारी करने की इस्तदुआ कर रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की पुष्टि के साक्ष्य में तहसीलदार छोटी खाटू के पत्र क्रमांक 182 दिनांक 20.02.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट से जयनारायण का नाम पूर्व में अभिलेख में दर्ज नहीं रहा है। सेमीकेशन कार्यवाही के दौरान उक्त नाम सहवन से अभिलेख में जुड़ गया था। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डाबगांव खेत पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी में दर्ज जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राह्मण सा. डेह का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार खाटू खुर्द के पत्र क्रमांक 182 दिनांक 20.02.2024 की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 08.08.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**
राजस्व वाद संख्याः 106/2023 दायर दिनाँक 15.06.2023

वादी

1. हनीफ खान पुत्र जमील खां उम्र 29 वर्ष जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. सुबहानी पत्नी जमील खां उम्र 48 वर्ष
2. समाउदीन पुत्र जमील खां उम्र 27 वर्ष
3. मोहम्मद अली पुत्र जमील खां उम्र 23 वर्ष
4. सलमान खान पुत्र जमील खां उम्र 22 वर्ष
5. अजहरूदीन पुत्र जमील खां उम्र 19 वर्ष
6. सुल्तान खां पुत्र जमील खां उम्र 16 वर्ष (प्रतिवादी सं0 6 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुबहानी प्रतिवादी सं0 1) जातिगण शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी डाबगांव तहसील डीडवाना
8. तहसीलदार डीडवाना।
9. यूकों बैंक शाखा शैरानी आबाद।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

दिनाँक 08.08.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री नरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद डाबगांव खेत पुराने खसरा सं0 754/500 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 1017/837 रकबा 2.8900 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी में दर्ज जयनारायण पुत्र भींयाराम जाति ब्राहम्ण सा. डेह का नाम हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार खाटू खुर्द के पत्र क्रमांक 182 दिनांक 20.02.2024 की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.08.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner